

## शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार

1	योजना का नाम	शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	योजनान्तर्गत शारीरिक रूप से विकलांग एवं मूक बधिर तथा नेत्रहीन बालिकाएं जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं, ऐसी बालिकाओं को 2000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	2005-06
4	लाभान्वित वर्ग	शारीरिक रूप से विकलांग एवं मूक बधिर तथा नेत्रहीन बालिकाएं जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं।
5	पात्रता	शारीरिक रूप से विकलांग एवं मूक बधिर तथा नेत्रहीन बालिकाएं जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं।
6	देय सुविधाएं	2000 रुपये प्रति वर्ष प्रति बालिका
7	आवेदन का तरीका	संबंधित संस्थाप्रधान के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को आवेदन।
8	आवेदन का किया जावे	संबंधित संस्थाप्रधान के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा।
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> <li>• शारीरिक रूप से विकलांग एवं मूक बधिर तथा नेत्रहीन होने का प्रमाण-पत्र</li> <li>• नियमित रूप से अध्ययनरत का प्रमाण पत्र।</li> </ul>
10	सम्पर्क सूत्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>• जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)</li> <li>• उप सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, 2-2ए, आर.एस.टी.बी. भवन झालाना डूंगरी, जयपुर (मोबा.-9460381389)</li> </ul>